

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2020 — भाद्रपद 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2020

अधिसूचना
सं 05/2020—राज्य कर

क्रमांक एफ 10-64/2020/वाक/पांच (98).— एतद्वारा, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (99) के साथ पठित धारा 5 के उपबंधों के अनुसरण में—

- (क) संयुक्त आयुक्त, राज्य कर या उपायुक्त, राज्य कर द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेशों के लिए आयुक्त, राज्य कर या विशेष आयुक्त, राज्य कर या अपर आयुक्त, राज्य कर ; और
- (ख) सहायक आयुक्त, राज्य कर या राज्य कर अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेशों के लिए संयुक्त आयुक्त, राज्य कर,

को उक्त अधिनियम की धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता है।

2. यह अधिसूचना 13 जनवरी, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 10-64/2020/वाक/पांच (98).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10- 64/2020/वाक/पांच (98), दिनांक 07-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 7th August 2020

NOTIFICATION
No. 05/2020- State Tax

No. F 10-64/2020/CT/V(98).— In pursuance of the provisions of section 5 read with clause (99) of section 2 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), hereby authorises—

- (a) the Commissioner of State Tax or Special Commissioner of State Tax or Additional Commissioner of State Tax for decisions or orders passed by the Joint Commissioner of State Tax or Deputy Commissioner of State Tax; and
- (b) the Joint Commissioner of State Tax for decisions or orders passed by the Assistant Commissioner of State Tax or State Tax Officer,

as the Revisional Authority under section 108 of the said Act.

2. This notification shall deemed to have come in to force from 13th January 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary